

कार्यालय, अंचल अधिकारी, बरकट्टा, हजारीबाग।

आदेश पत्रक

वाद संख्या : 122 / 2020-21 2017

लेख्य प्रकार-.....

3.11.20

अभिलेख का संधारण E-Court (Revenue) में लंबित वाद के विरुद्ध किया गया। उपरोक्त वाद से संबंधित अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। कार्यालय के नये भवन में हस्तांतरण के क्रम में अभिलेखके अन्यत्र रख दिये जाने एवं नहीं मिलने के कारण पुनः सृजन किया गया। अपर समाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक-1389/रा0 दिनांक 24.06.2016 के आलोक एवं निदेशन भू-अर्जन सह विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सं0 पत्र सं0-03-खा0म0 नीति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0-914/रा0 दिनांक 19.12.1998 में निहित अनुदेश/निदेश के अनुपालन में गै0 म0 खास भूमि के विरुद्ध कायम की गई जमाबंदीयों की जांच के क्रम में राजस्व उप नि0 एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नवत् गै0 म0 खास भूमि की जमाबंदी कायम है।

ग्राम	खाता	खसरा	रकबा	जमाबंदीदार रैयत का नाम	पंजी-2 का पृ0सं0/भाग
श्रीगुरु पुर	1	—	0.5	पद्मेश्वर 10/1 2018	43/1

राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक ने उपरोक्त वर्णित जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए प्रतिवेदन दिया है।

अतः संबंधित को संधारित जमाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने हेतु सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 18.11.20 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
बरकट्टा

18.11.2020

23/11/2020

अभिलेख उपस्थापित। सूचना का तानिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/स0भू0 (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074, दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में जांच की गई। जमाबंदीदार रैयतों द्वारा संदेहात्मक जमाबंदी के विरुद्ध भूतपूर्व जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का हुकुमनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत रसीद, भूतपूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारी स्तर पर किये गये बंदोबस्ती संबंधी किसी प्रकार का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) में विहित प्रावधानुसार जमाबंदी सं0 43/I बनाम पद्मेश्वर 10/1 को संदेहात्मक मानते हुए रद्द करने की सूचना की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही को भेजें।

अंचल अधिकारी
बरकट्टा

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- ~~खमन शाना काँवरह~~
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कौनहरा खुर्द	११	१		०.७७ $\frac{1}{3}$ २५०
3. जमाबंदी पंजी-^III के जिल्द संख्या ५३/१ पृष्ठ सं०-५३ पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है १९७८-७९
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- श्री २७२२
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है आदेश ६७-१६
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम - —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूवदावस्ती - —
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (मूलपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी) पंजी II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	गसूची नं०
	<u>३६५००५५</u>	<u>१२-१२-०५</u>	<u>२००५-०५</u>





संविद्ध / अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला

चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - हजारीबाग जिला
2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम - अज्ञात
ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी -

नौजा	थाना न०	खाता सं०	खसरा सं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>कोनहा</u> <u>205</u>	<u>99</u>	<u>01</u>	<u>-</u>	<u>0.77 1/3</u>	<u>गहना</u>	<u>अज्ञात</u>

क) अंचल स्तर पर
अज्ञात जमाबन्दीदार का नाम
अज्ञात जमाबन्दीदार का नाम
अज्ञात जमाबन्दीदार का नाम

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - परी
4. अवैध जमाबन्दी पंजी 11 में कब से संधारित है - वर्ष 1978-79
5. उक्त जमाबन्दी पंजी 11 में दर्ज करने वाले कर्मचारी / पदाधिकारी का नाम -
(पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी / कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें।
6. नामान्तरण / दाखिल - खारिज उपरान्त संधारित जमाबन्दी के नामलों में मूल जमाबन्दी रैथत की विवरणी -
7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 - i) अनिविधित सादा हुकुमनामा X
 - ii) लगान निर्धारण तथा उसका दर्य (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) X
 - iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ) X
8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादस पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रूपये कम या इससे अधिक)
9. अवैध जमाबन्दी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है:-
 - i) नूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - X
 - ii) अंचल / अनुमंडल में संधारित बन्दोवस्ती पंजी से - X
 - iii) दाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से - पंजी 11
10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है? नए
11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? नए
12. वर्ष 1954-55 में हुए फिक्ड बुझारत पंजी में दखल कब्जा अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूंजों का नाम अंकित था? -
13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशांसा सहित - अज्ञात
14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरान्त मन्तव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - अज्ञात

W

अंचल अधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता अनुमंडल पदा० अपर समाहर्ता उपायुक्त

31/10/3

20/10/3

अज्ञात